उत्तर प्रदेश शासन

प्रशासनिक सुधार अनुभाग

संख्या- 8/897/43-1-2014-33(1)82

लखनऊ:दिनांक 03 नवम्बर , 2014

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

श्री बिपिन बिहारी, आशुलिपिक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय,उ0प्र0 जो दिनांक 31-10-2014 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गये हैं। उनके अवकाश लेखे में कुल 300 दिनों का उपार्जित अवकाश संचित है ।अतएव वित्त सामान्य अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-4-1327/20-2000/77,दिनांक 18 जनवरी,1979 सपठित शासनादेश संख्या-023/दस-85-205/85, दिनांक 14-6-1985 व शासनादेश संख्या -4-1071/दस-2001 दिनांक 21-03-1992 एवं शासनादेश संख्या-4-383/दस-99-2000/88, दिनांक 01-07-1999 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री बिपिन बिहारी, आशुलिपिक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय,उ0प्र0 को 300 दिनों का उपार्जित अवकाश का नगदीकरण एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

2- उक्त नकदीकरण का भुगतान श्री बिपिन बिहारी, आशुलिपिक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0 को किया जायेगा । प्रमाणित किया जाता है कि उक्त उपार्जित अवकाश का नकदीकरण 300 दिन की सीमा के अन्दर है।

3- उपर्युक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या' 62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-आयोजनेत्तर-01-सिविल-115-छुट्टी नकदीकरण हित लाभ-03-सेवानिवृत्त के समय अवकाश का नकदीकरण-02-दिनांक 08 नवम्बर,2000 के पश्चात सेवानिवृत्त हित लाभ के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

परशुराम प्रसाद

विशेष सचिव।

<u>संख्या 8/897(1) /43-2014 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निहम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- अनुभाग अधिकारी, लेखा प्रशासनिक सुधार विभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।

4- श्री बिपिन बिहारी, आशुलिपिक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय,उ0प्र0,निवासी एफ-3707/01, राजाजीपुरम, लखनऊ-226017 (9450654137)

5- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, दरबारी लाल शर्मा भवन, सचिवालय।

6- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)

अनुसचिव

http://shasnadesh.up.nic.in

http://shasnadesh.up.nic.in